[श्री मधु लिमये]

ढंग से भेजा है । 1960 की बात है । हम तीन चार साल पहले से कहते थे

"Apart from the above, it is also hoped that the Government of the People's Republic of China would respect the sovereign rights of the Government of Jammu and Kashmir, and, therefore, of the Government of India, over Mansar in Western Tibet'

तो मनसर पर जब हमारा सार्वभौम अधिकार है तो कैसे आप कह सकते है कि तिब्बत चीन का एक अंग है या चीन का तिब्बत के ऊपर अधिराज्य है । लेकिन अध्यक्ष महोदय अपने अधिकारों की रक्षा करने में यह सरकार बिलकुल असफल रही है । मैं तारकेश्वरी जी से पूछना चाहता हू कि चीन के साथ राजनीतिक, कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद करने का इसमें जो सुझाव है इसको वह मंजूर करने के लिये तैयार है ? अगर इस तरह का प्रस्ताव इस सदन में आता है और उसकी ताईद करने के लिये यह लोग तैयार है तो मैं अपना कामरोको प्रस्ताव वापस लेने के लिये तैयार हू । मैं अभी चागला साहब से जानना चाहता हू, इन्दिरा जी से जानना चाहता हू क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव आप रख रहे है ? अगर रख रहे है तो मैं अपना प्रस्ताव वापस लेने को तैयार हू । दखिये कोई आवाज नही आ रही है । इसलिये अध्यक्ष महोदय, चागला साहब ने कोई ऐसी बात नही कही है कि जिससे हमारी नीति में परिवर्तन होने की आशा की जा सकती है । हीरेन्द्र मुखर्जी साहब को मैं इतना ही कहूगा कि लेनिन जब फिनलैंड और पोलैंड की स्वतत्रता का समर्थन करता है तो वह बडा लोकतत्री बनता है, लेकिन हम लोग जब तिब्बत की स्वतत्रता का समर्थन करते हैं तो हम साम्राज्यवादियों के हाथ के खिलौने बनते हैं ? हमारी समझ में यह बात आती नही है (व्यवधान) .

हो, पडौसी हैं तो क्या हुआ लेकिन आज तो साबित हुआ कि इस मामले में मुकर्जी साहब आप से ज्यादा नजदीक हैं । तो अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हू कि आज जो पीकिंग में हुआ है हमारे दूतो के साथ वह तो एक कडी है पूरी शृंखला की मालिका है और उसका यह अजाम है । आक्रमण हुआ । हमारे इलाके का उन्होंने हडप लिया । इसलिये उसे देश के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद करना हमारा तात्कालिक कर्तव्य होता है । जो वर्तमान दुर्बलता और कमजोरी है उसको दूर करने के लिये औद्योगिक सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति हमारे देश में लाकर इस देश को मजबूत कर बनाना यह भी हमारा फर्ज हो जाता है । इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करता हू कि वह मेरे काम रोको प्रस्ताव को वापस कर ।

Mr. Deputy-Speaker: The question is

'That the House do now adjourn"

The motion was negatived

18.52 hrs

ANTI-CORRUPTION LAWS (AMENDMENT) BILL

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): I beg to move:

"That the Bill further to amend the anti-corruption laws, be taken into consideration"

Mr. DeputySpeaker: Motion moved:

"That the Bill further to amend the anti-corruption laws, be taken into consideration"

Shri Vidya Charan Shukla: Under section 5(3) of the Prevention of Corruption Act, 1947, as it stood

Mr. Deputy-Speaker: He may continue tomorrow. The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.

18-52 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, June 15, 1967/Jyaistha 25, 1889 (Saka)

GMGIPND—LS II—736 (Ai) LSD—25-9-67—1000.